

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी : जयदीप सिंह)

सत्र प्रकरण क्रमांक : 466/2014

संस्थित दिनांक : 03-12-2014

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैतूल,
जिला बैतूल (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

:: वि रु द्ध ::

1. सुरेश पिता मानिकराव धोटे, आयु 45 वर्ष,
निवासी-विनोबा वार्ड, भग्गूढाना, गंज, बैतूल
जिला बैतूल (म.प्र.)
2. रवि पिता रामकृष्ण कवड़कर, आयु 46 वर्ष,
निवासी-एल.एफ.एस.स्कूल के पास,
चंद्रशेखर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. उर्मिला पति चैतराम मेहरा, आयु 50 वर्ष,
निवासी-मूसाखेड़ी, थाना आठनेर,
जिला बैतूल (म.प्र.)

— — — — — **अभियुक्तगण**

उपस्थिति में :

राज्य द्वारा श्री गोवर्धन मालवीय, अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्त सुरेश द्वारा श्री पंकज रघुवंशी अधिवक्ता।
अभियुक्त रवि द्वारा श्री मदन हीरे अधिवक्ता।
अभियुक्ता उर्मिला द्वारा श्री राकेश पटेल अधिवक्ता।

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 15-02-2018 को खुले न्यायालय में घोषित)

अभियुक्ता उर्मिला पर यह आरोप है कि उसने दिनांक 05.07.2008 को भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा सिविल लाईन बैतूल जिला बैतूल में छल करने के प्रयोजन से यह जानते हुए कि ग्राम मूसाखेड़ी, तहसील आठनेर, जिला बैतूल की खसरा नंबर 41/5 एवं 43/2 रकबा 3.450 एवं 2.391 कुल 5.841 हेक्टेयर की भूमि उसकी नहीं है, उक्त कूट रचना किये जाने हेतु और बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु खसरा किश्तबंदी पर तहसीलदार की सील एवं हस्ताक्षर कर, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं की गयी थी, जिससे मूल्यवान प्रतिभूतियाँ सम्पादित की जा सकती थी, से छल किया और बैंक से ऋण प्राप्त

किया, यह जानते हुए कि सीलें, हस्ताक्षर, ऋण पुस्तिका एवं खसरा किश्तबंदी नकली थे तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, जो असल के रूप में प्रयोग करने के आशय से कूटरचना की, यह जानते हुए कि उक्त सीलें, हस्ताक्षर, ऋण पुस्तिका एवं खसरा किश्तबंदी कूटरचित है, छल करने के आशय से प्रयोग में लायी जायेगी, कूटरचना की, यह जानते हुए कि उक्त कूटरचित खसरा, किश्तबंदी एवं कृषिभूमि के दस्तावेजों को कपटपूर्वक एवं बेईमानीपूर्वक यह जानते हुए कि वह कूटरचित है, भारतीय स्टेट बैंक, बैतूल से ऋण प्राप्त करने हेतु उपयोग किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 471 के अधीन दण्डनीय है। अभियुक्त सुरेश एवं रवि के विरुद्ध यह आरोप है कि उनके द्वारा सहअभियुक्त के साथ षड़यंत्र कर उक्त अपराध कारित किया, जो क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120बी, 467/120बी, 468/120बी तथा 471 के अधीन दण्डनीय है।

2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. अभियोजन कथा यह है कि उर्मिला द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिविल लाईन बैतूल में आकर स्वयं के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नंबर 41/5 एवं 43/2 रकबा 3.450 एवं 2.391 कुल 5.841 हेक्टेयर मौजा मूसाखेड़ी, तहसील आठनेर जिला बैतूल बताकर खसरा किश्तबंदी बैंक में बतौर प्रतिभूति दिनांक 05.07.2008 को जमा किये, जिनके सही होने का विश्वास कर बैंक द्वारा उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर आरोपी को रु.1,36,000/- का ऋण प्रदान किया गया। आरोपी धुमसी द्वारा श्री सी.एस.सोनी अधिवक्ता से प्राप्त सर्च रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी थी, जिनके द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा ऐसी कोई सर्च रिपोर्ट नहीं दी और न ही हस्ताक्षर की। बैंक द्वारा अधिवक्ता श्री आकाश शुक्ला से सर्च करवाने पर पाया गया कि आरोपी उर्मिला खसरा नंबर 41/5 एवं 43/2 रकबा 0.450 एवं 0.389 की भूमि स्वामी है तथा शेष भूमि का भूमि स्वामी नहीं है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित थे एवं उसके द्वारा दस्तावेजों की कूटरचना कर उन्हें असल दस्तावेजों के रूप में उपयोग में लाते हुए बैंक को आर्थिक नुकसान पहुँचाने की नियत से बैंक के साथ धोखाधड़ी की है तथा उक्त दस्तावेजों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत कर अपराध किया है।

4. उक्त आशय का लेखी आवेदन प्र.पी-1 थाना कोतवाली बैतूल में प्रस्तुत किये जाने पर आरोपी उर्मिला के विरुद्ध अपराध क्र. 879/2014 अंतर्गत धारा 420, 467, 468 एवं 471 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान बैंक से ऋण प्राप्त किये जाने संबंधी दस्तावेज, भूमि के खसरा किश्तबंदी, नक्शा, सर्च रिपोर्ट, शपथपत्र आदि प्राप्त किये गए। आरोपी उर्मिला के नमूना हस्ताक्षर के 6 पेज जप्त किये गये। साक्षियों के कथन लेख किये गए। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि आरोपी उर्मिला, रवि कवड़कर, सुरेश धोटे एवं बैंक के तत्कालीन अधिकारी डी.एन.शर्मा के द्वारा षडयंत्र कर फर्जी दस्तावेज खसरा, किश्तबंदी तैयार कर बैंक में प्रस्तुत कर उर्मिला के नाम से ऋण प्राप्त कर आपस में बांट लिया गया। तत्पश्चात् आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित होना पाये जाने पर अभियोग पत्र श्रीमती नोरिन निगम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। चूंकि यह मामला अनन्यतः सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय था, इसलिये उपार्पित किया गया और माननीय सत्र न्यायाधीश, बैतूल द्वारा अंतरण पर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. आरोपी उर्मिला के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 471 एवं आरोपी रवि एवं सुरेश के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120बी, 467/120बी, 468/120बी तथा 471 का आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे आरोपीगण ने इंकार किया और विचारण चाहा। धारा 313 द.प्र. सं. के परीक्षण में आरोपीगण का कहना है कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव में कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

6. द.प्र.सं. की धारा 317(2) के अंतर्गत सहअभियुक्त डी.एन.शर्मा के विरुद्ध पृथक विचारण हेतु आदेशित किया गया है।

7. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या अभियुक्त उर्मिला ने दिनांक 05.07.2008 को भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा सिविल लाईन बैतूल जिला बैतूल में छल करने के प्रयोजन से यह जानते हुए कि ग्राम

मूसाखेड़ी, तहसील आठनेर, जिला बैतूल की खसरा नंबर 41/5 एवं 43/2 रकबा 3.450 एवं 2.391 कुल 5.841 हेक्टेयर की भूमि उसकी नहीं है, उक्त कूट रचना किये जाने हेतु और बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु खसरा किश्तबंदी पर तहसीलदार की सील एवं हस्ताक्षर कर, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं की गयी थी, जिससे मूल्यवान प्रतिभूतियों सम्पादित की जा सकती थी, से छल किया और बैंक से ऋण प्राप्त किया ?

- (2) क्या आरोपी उर्मिला ने यह जानते हुए कि सीलें, हस्ताक्षर, ऋण पुस्तिका एवं खसरा किश्तबंदी नकली थे तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, जो असल के रूप में प्रयोग करने के आशय से कूटरचना की ?
- (3) क्या आरोपी उर्मिला ने यह जानते हुए कि उक्त सीलें, हस्ताक्षर, ऋण पुस्तिका एवं खसरा किश्तबंदी कूटरचित है, छल करने के आशय से प्रयोग में लायी जायेगी, कूटरचना की ?
- (4) क्या आरोपी उर्मिला ने यह जानते हुए कि उक्त कूटरचित खसरा, किश्तबंदी एवं कृषिभूमि के दस्तावेजों को कपटपूर्वक एवं बेईमानीपूर्वक यह जानते हुए कि वह कूटरचित है, भारतीय स्टेट बैंक, बैतूल से ऋण प्राप्त करने हेतु उपयोग किया ?
- (5) क्या आरोपी उर्मिला द्वारा कारित उक्त अपराध में सुरेश एवं रवि द्वारा सहअभियुक्त के साथ षड़यंत्र कर सहभागिता की ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

विचारणीय बिन्दु क्र. 1 से 5 :-

8. साक्ष्य विवेचन की पुनरावृत्ति को अपवर्जित करने के उद्देश्य से उक्त विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

(अ.सा.2) दीनदयाल, (अ.सा.3) भारत, (अ.सा.4) कन्हैया, (अ.सा.5) जयवंती उर्फ फूलवंती, (अ.सा.6) रामकिशोर, (अ.सा.8) सुनील जीतपुरे के द्वारा कथन किया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर उनसे सूचक प्रश्न पूछे गए हैं, किंतु उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन कहानी को बल मिलता हो।

9. (अ.सा.1) दिलीप कुमार श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक ने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि वह दिनांक 2012 से अक्टूबर 2014 तक मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बैतूल में कार्यरत रहा है। आरोपी उर्मिला को बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया था, जिसके संबंध में आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच करवाये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि आरोपी द्वारा बताए खसरे में रकबे से कम भूमि थी तथा दोबारा सर्च कराये जाने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि उर्मिला ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर रु. 1,36,000/- ऋण प्राप्त किया था। उसके द्वारा थाना कोतवाली में लिखित शिकायती आवेदन प्र.पी-1 प्रस्तुत कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी-2 पंजीबद्ध कराया और प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि, जिसमें किसान क्रेडिट लोन का दस्तावेज प्र.पी-3, एप्लीकेशन फार्म प्र.पी-4, ऋण स्वीकृति मूल्यांकन आवेदन प्र.पी-5, खसरा पांच साला प्र.पी-6, किश्तबंदी खतौनी प्र.पी-7, शपथपत्र उर्मिला बाई प्र.पी-8, आकाश शुक्ला द्वारा दिया गया टाईटिल सर्च रिपोर्ट प्र.पी-9 है। आरोपी उर्मिला द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक में जमीन के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। थाना प्रभारी द्वारा प्रकरण से संबंधित जानकारी मांगी थी, जो प्र.पी-11 के अनुसार है।

10. (अ.सा.1) दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि लोन के लिए उर्मिला का आवेदन उसके कार्यकाल में नहीं आया और न ही उसके द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया। घटना के समय चंद्रशेखर सोनी बैंक के अधिकृत अधिवक्ता थे तथा आकाश शुक्ला भी बैंक के अधिकृत अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता द्वारा सर्च रिपोर्ट स्वयं बैंक को प्रस्तुत करना चाहिये, किंतु कई बार ऋणी स्वयं ही बैंक में सर्च रिपोर्ट

जमा कर देता है। चंद्रशेखर सोनी द्वारा प्रस्तुत सर्च रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने आकाश शुक्ला द्वारा प्रदत्त सर्च रिपोर्ट के आधार पर एवं दस्तावेजों के आधार पर यह पाया था कि चंद्रशेखर सोनी द्वारा प्रस्तुत सर्च रिपोर्ट गलत है और आकाश शुक्ला की सर्च रिपोर्ट सही है, जिसका उल्लेख प्र.पी-1 के आवेदन में किया है। ऋण स्वीकृति के पहले बैंक अधिकारी द्वारा भूमि के दस्तावेज एवं भौतिक सत्यापन किये जाने के बाद पश्चात् ऋण स्वीकृत किया जाता है, बैंक के जिस कर्मचारी ने ऋण स्वीकृत किया है उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। ऋण स्वीकृति के पश्चात् भूमि को बैंक में बंधक रखा जाता है तथा उर्मिलाबाई की भूमि को भी बैंक द्वारा बंधक रखा गया है।

11. (अ.सा.7) आकाश शुक्ला द्वारा न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि वे 2008-09 से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बैतूल में विधिक सलाहकार के पद पर पदस्थ हैं। उनके द्वारा आरोपी उर्मिला के ग्राम मूसाखेड़ी में खसरा नंबर 41/5, 43/2 कुल रकबा 5.841 हेक्टेयर भूमि का स्वयं को भूमिस्वामी होना बताकर बैंक से ऋण लिया था, परंतु उनके द्वारा सर्च की गयी तब यह पाया कि उर्मिला ने खसरा नंबर 41/1, 43/2 में से 0.450, 0.389 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी और उर्मिलाबाई का नाम राजस्व रिकार्ड में चढ़ने के बाद नया खसरा नंबर 41/5 एवं 43/2 होकर उर्मिला केवल रकबा 0.450, 0.389 हेक्टेयर जमीन की स्वामी थी। इस तरह उर्मिला ने कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की। उनके द्वारा दी गयी सर्च रिपोर्ट प्र.पी-9 है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि उसने उक्त सर्च रिपोर्ट के साथ भूमि के प्रमाणित भू दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। ऋण प्रदान किये जाने के बाद भूमि को बंधक के रूप में दर्ज किया जाता है तथा उपपंजीयक कार्यालय के रिकार्ड में दर्ज किया जाता है। बैंक द्वारा भूमि की सर्च रिपोर्ट की सत्यता की जाँच के उपरांत ऋण प्रदान किया जाता है।

12. (अ.सा.9) उपनिरीक्षक अशोक वरकड़े उपनिरीक्षक ने व्यक्त किया है कि दिनांक 07.07.2014 को थाना बैतूल में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते एस.आई. उदयवीर भदौरिया ने आरोपी के विरुद्ध प्र.पी-2 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया था और

विवेचना के दौरान गवाहों के कथन लेख कर बैंक से प्र.पी-10 का पत्र लिखकर जानकारी चाही थी और दस्तावेजों की मूल से सत्यापित मूल प्रतियाँ विवेचना के दौरान ही प्राप्त की थी। आरोपी रवि, सुरेश एवं उर्मिला को गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी-18 से 20 बनाकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी उर्मिला से एक डायरी तथा 6 प्रति हस्ताक्षर नमूना जाँच के लिए गवाहों के समक्ष लिये थे, जिन्हें जप्ती पत्रक प्र.पी-16 बनाकर जप्त किया।

13. (अ.सा.9) उपनिरीक्षक अशोक वरकड़े उपनिरीक्षक ने प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसने खसरा, नक्शा, किश्तबंदी आदि के संबंध में राजस्व विभाग के पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार या अन्य किसी से कोई पूछताछ नहीं की। पूर्व में चंद्रशेखर सोनी द्वारा जो सर्च रिपोर्ट दी गयी थी, वह भी प्रकरण में भूमि की सत्यता के संबंध में संलग्न है और चंद्रशेखर सोनी द्वारा यह व्यक्त किया था कि उक्त रिपोर्ट उनके द्वारा नहीं दी गयी, किंतु उनके कथन लेख नहीं किये गए। उसे आरोपी के पास से बैंक की खसरा किश्तबंदी या सील आदि नहीं मिली। वर्ष 2008 में प्रस्तुत सर्च रिपोर्ट में दर्शित खसरा की भूमि में रकबा आरोपी के नाम लेख किया गया था तथा 2008 से 2014 तक आरोपी द्वारा उक्त भूमि का कुछ भाग विक्रय किया गया हो तो इस संबंध में जाँच नहीं की और आकाश शुक्ला की जाँच रिपोर्ट के आधार पर उर्मिला को आरोपी माना गया है।

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन ने अभिलेख पर लोन से संबंधित दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि, जिसमें किसान क्रेडिट लोन का दस्तावेज प्र.पी-3, एप्लीकेशन फार्म प्र.पी-4, ऋण स्वीकृति मूल्यांकन आवेदन प्र.पी-5, खसरा पांच साला प्र.पी-6, किश्तबंदी खतौनी प्र.पी-7, शपथपत्र उर्मिला बाई प्र.पी-8, आकाश शुक्ला द्वारा दिया गया टाईटिल सर्च रिपोर्ट प्र.पी-9 प्रस्तुत किये हैं, जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी उर्मिला द्वारा फरियादी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से रु. 1,36,000/- का ऋण लिया। ऋण लेते समय भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये और प्रथम सर्च रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण होने के कारण लोन स्वीकृत हुआ। आरोपी उर्मिला ने लोन प्राप्त किया और पुनः सर्च कराये जाने पर आरोपी उर्मिला द्वारा

प्रस्तुत उपरोक्त राजस्व दस्तावेज कूट रचित होना प्रमाणित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त खसरा दस्तावेज आरोपी उर्मिला द्वारा ही बैंक में प्रस्तुत किये गए और आकाश शुक्ला द्वारा दी गयी सर्व रिपोर्ट प्र.पी-9 के अनुसार उर्मिला ने खसरा नंबर 41/1, 43/2 में से 0.450, 0.389 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी और उर्मिलाबाई का नाम राजस्व रिकार्ड में चढ़ने के बाद नया खसरा नंबर 41/5 एवं 43/2 होकर उर्मिला केवल रकबा 0.450, 0.389 हेक्टेयर जमीन की स्वामी थी। इस तरह उर्मिला ने कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की।

15. उक्त स्थिति में जहाँ कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित है कि आरोपी उर्मिला द्वारा छलपूर्वक फर्जी दस्तावेजों को बैंक में प्रस्तुत कर अवैधानिक रूप से ऋण प्राप्त किया गया तब जहाँ कि सम्पूर्ण मामला दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है तब आरोपी उर्मिला पर ही यह प्रमाण भार है कि वह उक्त दस्तावेजों को कूटरचित न होना प्रमाणित करें, किंतु इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और अभियोजन साक्षी दिलीप कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.1) एवं आकाश शुक्ला (अ.सा.7) के न्यायालयीन कथन प्रतिपरीक्षण में अखण्डित हैं, जिन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक आरोपी सुरेश एवं रवि का प्रश्न है, उनके आपराधिक दायित्व के संबंध में प्रकरण में विश्वसनीय साक्ष्य का सर्वथा अभाव है। उक्त आरोपीगण के न तो किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर हैं और न ही कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर है।

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आधार पर अभियोजन आरोपी सुरेश एवं रवि के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है, किंतु आरोपी उर्मिला के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामस्वरूप आरोपी सुरेश एवं रवि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120बी, 467/120बी, 468/120बी तथा 471 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपी उर्मिला को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468 एवं 471 के आरोप में दोषी पाकर दोष सिद्ध किया जाता है।

17. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुने जाने हेतु निर्णय

लेखन स्थगित किया जाता है।

(जयदीप सिंह)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च:

18. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। आरोपी की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है, उसका प्रथम अपराध है। दण्ड के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का निवेदन किया गया। अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी को कठोरतम दण्ड देने का निवेदन किया। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में और आरोपी द्वारा बैंक में जमा लोकधन के प्रति कारित अपराध को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को निम्नवत् दण्डित किया जाता है :-

| अभियुक्त का नाम | धारा | कारावासीय सजा | अर्थदण्ड | अर्थदण्ड का व्यतिक्रम करने पर |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| उर्मिला पति चैतराम मेहरा, आयु 50 वर्ष, निवासी-मूसाखेड़ी, थाना आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.) | धारा 420 भा.द.सं. | चार वर्ष सश्रम | रु. 1,000 / - | दो माह सश्रम |
| | धारा 467 भा.द.सं. | पॉच वर्ष सश्रम | रु. 1,000 / - | दो माह सश्रम |
| | धारा 468 भा.द.सं. | चार वर्ष सश्रम | रु. 1,000 / - | दो माह सश्रम |
| | धारा 471 भा.द.सं. | दो वर्ष सश्रम | रु. 1,000 / - | दो माह सश्रम |

18. आरोपी को दी गयी सभी कारावासीय सजा एक साथ भुगतायी जाये। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दिये गए कारावास की सजा मूल कारावासीय सजा से पृथक से भुगतायी जाये।

19. प्रकरण में कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है। आरोपी उर्मिला द्वारा न्यायालय में जमा करायी गयी राशि रु. 1,36,000/- अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा बैतूल को वापस की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय

न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत की जाये।

20. अभियुक्त उर्मिला को निर्णय की निःशुल्क प्रतिलिपि प्रदान की जाये। उसका सजा वारंट तैयार कर सजा भुगताये जाने हेतु जिला जेल बैतूल भेजा जाये।

21. अभियुक्त सुरेश एवं रवि के जमानत मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त किये जाते हैं।

22. अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि अभियुक्तगण को दी गयी कारावासीय सजा में समायोजित किया जाये। द.प्र.सं. की धारा 428 के अंतर्गत निरोध अवधि की तालिका बनायी गयी जो निर्णय का अंग होगी।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देश पर टंकित किया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(जयदीप सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

(जयदीप सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

बैतूल
दिनांक : 15/02/2018